



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1150]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 28, 2005/कार्तिक 6, 1927

No. 1150]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 28, 2005/KARTIKA 6, 1927

वस्त्र मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर, 2005

**का.आ. 1547(अ).**— केन्द्र सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 के 10) के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा पटसन और पटसन वस्त्र नियंत्रण आदेश, 2000 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :-

1. (1) इस आदेश को पटसन और पटसन वस्त्र नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 2005 कहा जाए ।  
(2) यह सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगा ।

2. पटसन और पटसन वस्त्र नियंत्रण आदेश, 2000 (जिसे इसमें इसके बाद मूल आदेश कहा गया है) में उप खंड (3) के बाद निम्नलिखित खंड जोड़े जाएंगे, अर्थात्:-

"(4) पटसन आयुक्त, सरकारी राजपत्र में : वसूचना द्वारा उपयुक्त मूल्य नियत कर सकता है जिस पर कच्चे पटसन की किसी किस्म अथवा ऐसी किस्म के किसी ग्रेड की खरीद या बिक्री की जा सकती है और विभिन्न क्षेत्रों अथवा कच्चे पटसन की विभिन्न किस्मों अथवा इसके ग्रेडों के लिए भिन्न-भिन्न कीमतें नियत की जा सकती हैं ।

(5) उपखंड (4) के अंतर्गत उपयुक्त कीमत निर्धारित करते समय पटसन आयुक्त कच्चे पटसन के उत्पादन केन्द्र से उस क्षेत्र अथवा क्षेत्रों, जिनकी बाबत ऐसी कीमत अथवा कीमतें नियत की जाए अथवा जाएँ, के परिवहन के लिए कच्चे पटसन की गुणवत्ता तथा आवश्यक रेल भाड़े और अन्य खर्चों एवं अन्य संबंधित कारक (कारकों) को ध्यान में रखेगा ।

(6) कोई भी व्यक्ति किसी भी कच्चे पटसन को उप खंड (4) के अंतर्गत उसके लिए नियत उपयुक्त मूल्यों से अधिक मूल्यों पर न तो बेचेगा अथवा न बेचने की पेशकश करेगा अथवा न खरीदेगा अथवा न खरीदने की पेशकश करेगा । "

3. मूल आदेश में खंड 5 के बाद निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात:-

"5(क):

(1) कच्चे पटसन की आसानी से उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से पटसन आयुक्त कच्चे पटसन का भंडार रखने वाले किसी भी व्यक्ति अथवा डीलर अथवा ट्रेडर अथवा एजेंसी से आदेश द्वारा निम्नलिखित की मांग कर सकता है:-

- (i) पंजीकरण के लिए पटसन आयुक्त अथवा उसकी ओर से उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को आवेदन करने के लिए;
- (ii) पटसन आयुक्त या पटसन उपायुक्त की लिखित अनुमति के बिना किसी विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक अपने भंडार की बिक्री अथवा आपूर्ति न करने के लिए; अथवा
- (iii) किसी भी व्यक्ति अथवा ट्रेडर अथवा डीलर द्वारा अपने कब्जे में रखे किसी कच्चे पटसन अथवा किसी विनिर्दिष्ट किस्म के पटसन की अधिकतम अथवा न्यूनतम मात्रा, जिसे वह किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति अथवा एजेंसी से/को अथवा अन्यथा किसी विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान खरीदे/अथवा बेचे ।

(2) उप खंड (1) के तहत आदेश जारी करते समय पटसन आयुक्त निम्नलिखित को ध्यान में रखेगा:-

- (i) उसके कब्जे में रखे कच्चे पटसन की मात्रा;
- (ii) ऐसे भंडारों की किस्म, स्थिति और ग्रेड संयोजन;
- (iii) सुपुर्दगी की वचनबद्धता के साथ उपयुक्त और दृढ़ वचनबद्धता;
- (iv) कच्चा पटसन आसानी से उपलब्ध कराए जाने तथा एक्सचेंज/एक्सचेंजों के माध्यम से अथवा अन्यथा कच्चे पटसन के भंडारण करने पर रोक लगाने अथवा सट्टेबाजी रोकने के विशेष संदर्भ में विभिन्न भंडारकों अथवा विनिर्माताओं द्वारा रखे जा रहे पटसन के ऐसे भंडारों को रखने की अवधि और उद्देश्य; और,
- (v) पटसन आयुक्त के विचार से इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त कोई अन्य कारक ।"

[फा. सं. 5/13/2003-जूट]  
जैमिनी कुमार शर्मा संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF TEXTILES****ORDER**

New Delhi, the 28th October, 2005

**S.O. 1547(E).**— In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order to amend the Jute and Jute Textiles Control Order 2000, namely : -

1.(1) This Order may be called the Jute and Jute Textiles Control (Amendment) Order, 2005.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Jute and Jute Textiles Control Order, 2000 (hereinafter referred to as the principal Order), after sub-clause (3), the following sub-clauses shall be inserted, namely:-

“ (4) The Jute Commissioner may by notification in the Official Gazette fix the reasonable price at which any variety of raw jute or any grade of such variety may be purchased or sold, and different prices may be fixed for different areas or for different varieties of raw jute or grades thereof.

(5) While fixing the reasonable price under sub-clause (4), the Jute Commissioner shall have regard to the quality of raw jute and the railway freight and other expenses necessary for the transport of raw jute from the producing centre to the area or areas in relation to which such price or prices is or are fixed and any other relevant factor(s).

(6) No person shall sell or offer to sell or purchase or offer to purchase any raw jute at a price exceeding the reasonable price fixed therefor under sub-clause (4).”

3. In the principal Order, after clause 5, the following clause shall be inserted, namely:-

“5(A) (1) With a view to ensure easy availability of raw jute, the Jute

Commissioner, may by order, require any person or dealer or trader or agency holding stock of raw jute,

- (i) to apply for registration to the Jute Commissioner or any Officer duly authorized by him in his behalf;
- (ii) not to sell or deliver his stock beyond a specified limit without the permission in writing of the Jute Commissioner or Deputy Jute Commissioner; or
- (iii) to keep the maximum or minimum quantity of raw jute or any specified variety of jute which the person or the trader or the dealer may have in his possession or purchase or sell from or to any specified person or agency or otherwise during any specified period.

(2) In issuing an order under sub-clause (1), the Jute Commissioner shall have regard to;

- (i) the quantity of raw jute in his possession;
- (ii) the quality, condition and grade composition of such stocks;
- (iii) genuine and firm commitment to sell and to deliver;
- (iv) period and the purpose for which such stocks of raw jute are being held by various stockists or manufacturers with particular reference to making raw jute easily available and to prevent holding of stocks or speculation in raw jute through Exchange or Exchanges or otherwise, and,
- (v) any other factor, which in the opinion of the Jute Commissioner may be relevant for the purpose."

[F. No. 5/13/2002 ...]

J. K. SHARMA, Jt. Secy.